अनुसूचित जनजाति-केंद्रित क्षेत्रों में विद्यालयी कामकाज में सुधार हेतु सामुदायिक भागीदारी के योगदान का अवलोकन और विश्लेषण

आयुषी सिंह*
वीरेंद्र प्रताप सिंह**

इस शोध अध्ययन का उद्देश्य विद्यालय के कामकाज में सुधार के लिए जन-समुदाय के योगदान का एक गहन अवलोकन और विश्लेषण करना था। यह अध्ययन मेघालय राज्य के रिभोईमबोंग खंड (ब्लॉक) के ग्रामीण आदिवासी-केंद्रित क्षेत्र में आयोजित किया गया था। अध्ययन हेतु यादृच्छिक रूप से पच्चीस विद्यालयों को चुना गया, जिसमें सामुदायिक भागीदारी के योगदान को अवलोकित और चिह्नित किया गया। विद्यालय के कामकाज में सुधार पर जन-समुदाय के प्रभाव का आकलन करने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक आँकड़ा अवलोकन विधि से एकत्र करके विश्लेषण किया गया है। इस अध्ययन में, समुदाय का विद्यालय के कामकाज में योगदान का मूल्यांकन विभिन्न बिंदुओं, जैसे— विद्यालय का स्थान, पेयजल, शौचालय, कक्षा सुविधाओं, विद्यालय प्रावधानों और मानव संसाधनों की निगरानी पर किया गया था। जन-समुदाय योगदान के कुछ पहलू इस प्रकार हैं, जैसे— शिक्षाकर्मी, जल आपूर्ति और बुनियादी ढाँचे को प्रदान करना प्रशंसनीय प्रयास को दर्शाता है। हालाँकि, अन्य क्षेत्रों में, न्यूनतम प्रभाव देखा गया, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित जागरूकता के बिंदुओं के माध्यम से भविष्य में सुधार की अपेक्षा को दर्शाता है।

शिक्षक और शोधकर्ता विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एक आवश्यक घटक के रूप में समुदाय की सक्रिय भागीदारी का व्यापक रूप से समर्थन करते हैं। यह जुड़ाव स्वदेशी ज्ञान और मौखिक परंपराओं को एकीकृत करके अधिक समावेशी, टिकाऊ और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील, सीखने के माहौल के विकास की सुविधा प्रदान करता है। सामुदायिक भागीदारी के नेतृत्व में विद्यालय प्रबंधन समिति की पहल विद्यालय प्रशासन को मजबूत करती है और शैक्षिक परिणामों में सुधार करती है। इसके अतिरिक्त, विद्यालय के बुनियादी ढाँचे में सुधार के लिए जन-समुदाय के प्रयास, जिसमें विद्यालयों के

**सीनियर रिसर्च एसोसिएट*, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, बी 4-59, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली 110 029
***आचार्य*, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110 016

लिए भूमि प्रदान करना और पोषण कार्यक्रमों का समर्थन करना शामिल है, यह सुनिश्चित करता है कि आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों की विशेष आवश्यकताओं के लिए विद्यालय अधिक सुलभ, बेहतर और अनुकूल बनें। इस संबंध में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने अभिभावक और जन-समुदाय को अपने बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण हितधारकों के रूप में मान्यता दी है और उन्हें कुछ शक्तियाँ भी प्रदान की हैं। इस संबंध में, पहला कदम विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन है। विद्यालय प्रबंधन समिति के घटक मुख्य रूप से माता-पिता/अभिभावक, शिक्षकों, मुख्य शिक्षकों और स्थानीय अधिकारीगण हैं। हालाँकि, विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन कई मुद्दों से संक्रमित है, अर्थात भूमिकाओं के बारे में जागरूकता और स्पष्टता की कमी, धन की कमी, विद्यालय विकास परियोजनाओं को तैयार करने के लिए क्षमता और प्रशिक्षण की कमी और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वायत्तता की कमी और विद्यालय से संबंधित अधिकारीगण से प्रश्न/सवाल करने की स्वच्छंद अभिव्यक्ति/क्षमता।

भारत सरकार (2014) और अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव (सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन, 2014) द्वारा पॉलिसी ब्रीफ के अनुसार, यह बताया गया था कि सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने राज्य-विशिष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति नियमों को अधिसूचित किया है और लगभग 95 प्रतिशत विद्यालय जिनके पास विद्यालय प्रबंधन समिति हैं उन्होंने विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष, विद्यालय के मुख्य शिक्षक/प्रधानाध्यापक के साथ एक संयुक्त बैंक खाता धारक बनाया है, ताकि अनुदान व्यय पर विद्यालय प्रबंधन समिति की पात्रता को सुविधाजनक बनाया जा सके। हालाँकि, नवानी (2017) ने बताया कि सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने 2015–16 के दौरान 95 प्रतिशत विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति (वि.प्र.स.) के अस्तित्व की सूचना दी थी। व्यवहारिक रूप में ज्यादातर विद्यालयों में वि.प्र.स. ने विद्यालय विकास परियोजनाओं को तैयार नहीं किया और अपने विद्यालयों के लिए आवश्यक अनुदान भी नहीं प्राप्त किया। चूँकि पूरे भारत में अभिभावकों का एक जैसा आर्थिक/सामाजिक वर्ग नहीं है, इसलिए विद्यालयों के कामकाज को प्रभावित करने में उनकी स्थिति और क्षमता, समाज में उनकी आर्थिक/सामाजिक स्थिति से प्रभावित होती है। सभी अभिभावकों को एक ही चश्मे (लेंस) के माध्यम से देखना और विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन को सशक्तीकरण के संकेत के रूप में मानना एक अपरिपक्व परिकल्पना होगी।

बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा न केवल अनिवार्य है बल्कि देश के सभी बच्चों के लिए एक अधिकार है और यह अभिभावकों, शिक्षकों और पूरे जन-समुदाय की जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि विद्यालय जाने वाले आयु वर्ग के बच्चों को बुनियादी कौशल, ज्ञान, मूल्य और दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए विद्यालय जाने के लिए प्रेरित करें, जो उन्हें उज्ज्वल जीवन का भविष्य प्रदान करेगा। यह तभी प्राप्त किया जा सकता है जब समुदाय/अभिभावक शिक्षा के महत्व को समझें और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और शिक्षकों के प्रभावी सहयोग के साथ विद्यालय जाने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए सहयोग करें।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के कार्यान्वयन की स्थिति ज्ञात करने के लिए वर्ष 2012 में एक शोध अध्ययन किया था। इस संबंध में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदमों के बारे में राज्य परियोजना निदेशकों से सूचना प्राप्त की गई थी। इस संबंध में, विभिन्न राज्यों एंव केंद्र शासित प्रदेशों (आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव को छोड़कर) से आँकडे प्राप्त किए गए थे। समग्र परिदृश्य के आधार पर, सिंह (2013) ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य परियोजना निदेशकों से प्राप्त जानकारी के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा समान रूप से व्यापक उपाय किए जाने चाहिए, विशेष रूप से पिछड़ने वालों राज्यों को अधिनियम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में दूसरों अन्य राज्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में हाल ही में कई संशोधनों को शामिल किया है और समय-समय पर इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कई दिशानिर्देश और स्पष्टीकरण जारी किए हैं। शिक्षा का अधिकार से संबंधित मुद्दों का विवरण भारत सरकार की वेबसाइट (www.mhrd.gov.in) पर उपलब्ध है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जारी किया और यह दस्तावेज शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में समाहित विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका/कार्यों के अतिरिक्त अन्य विभिन्न मुद्दों की संस्तुति करता है, इसके अनुसार—

- विद्यालय में बच्चों की भागीदारी और सीखने को सुनिश्चित करना, बच्चों की उपस्थिति का अनुश्रवण करना और विद्यालय से बाहर के बच्चों को चिह्नित (ट्रैक) करना।
- विद्यालय-संस्कृति की स्थापना में भागीदारी, जो उत्कृष्टता, जिज्ञासा, सहानुभूति और समानता को प्रोत्साहित करती है।
- निरंतर देखभाल और समावेशी विद्यालय-संस्कृति के प्रति विद्यालय प्रबंधन समिति को संवेदनशील बनाना।
- शिक्षकों के आवधिक (वार्षिक अथवा उच्चतर आवृत्ति) निष्पादन मूल्यांकन पर विद्यालय प्रबंधन समिति का अभिमत (एंडोर्समेंट)।
- विद्यालय परिसर प्रबंधन समिति (स्कूल कॉम्पलेक्स मैनेजमेंट कमेटी) के माध्यम से विद्यालय में कुशल संसाधन और प्रभावी प्रशासन।
- मानव संसाधन, सीखने के संसाधन, भौतिक संसाधन और बुनियादी ढाँचे, सुधार में पहल,

विशीय संसाधन और शैक्षिक परिणामों सहित विद्यालय के लिए कार्य योजना (अल्पकालिक और दीर्घकालिक) की संस्कृति में सहभागिता।

अतः प्रस्तुत शोध अध्ययन इस उद्देश्य के साथ करने की आवश्यकता थी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका/कार्यों के अतिरिक्त अन्य विभिन्न मुद्दों की मान्यता दे दी थी और उसके कार्यों को विनियमित करने के लिए विद्यालय परिसर प्रबंधन समिति की भी एक नई अवधारणा प्रस्तुत की थी।

शोध अध्ययन का उद्देश्य

इस अध्ययन में अनुसूचित जनजाति-केंद्रित क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी का आकलन किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से बहुत सारी प्रारंभिक गतिविधियाँ शुरू करने की उम्मीद की गई थी। वर्तमान अध्ययन के निष्कर्षों से पता चलेगा कि जन-समुदाय द्वारा विद्यालय हित में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और आगे क्या करने की आवश्यकता है। यह प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देने में सामुदायिक भागीदारी के योगदान का मूल्यांकन करने में गहन अवलोकन और दृष्टिकोण वाला एक अन्वेषणात्मक अध्ययन है।

शोध अध्ययन में प्रयुक्त सामग्री और विधि/तरीके

यह अध्ययन अनुसूचित जनजाति केंद्रित क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देने में सामुदायिक भागीदारी का आकलन करने के लिए निर्धारित वर्णनात्मक शोध था। सामुदायिक भागीदारी के योगदान का आकलन करने के लिए, एक अवलोकन अनुसूची के माध्यम से पच्चीस विद्यालयों को यादृच्छिक रूप से देखा गया। मेघालय राज्य सरकार की प्रशासनिक सहायता से अवलोकित/पर्यवेक्षित आँकड़ा का संकलन किया गया था।

विद्यालयों से सूचना प्राप्त करने हेतु एक अवलोकन अनुसूची विकसित की गई, जिसमें समुदाय के योगदान के बारे में विशिष्ट जानकारी के बारे में आँकड़ा मद (आइटम) थे, अर्थात, विद्यालय स्थान, पेयजल और शौचालय, कक्षा सुविधाओं के मुख्य मापदंड (पैरामीटर), विद्यालय प्रावधानों और मानव संसाधनों की निगरानी। भरे हुए अवलोकन अनुसूची प्राप्त करने के उपरांत माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट पर दर्ज किया गया था। इस आँकड़े का परीक्षण सांख्यिकीय विधि से मान्य प्रक्रिया द्वारा किया गया, तदुपरांत सारणीकरण और विश्लेषण के लिए संशोधित किया गया था।

आँकड़ा प्रस्तुतीकरण और विश्लेषण

सामुदायिक भागीदारी का आकलन करने के लिए अवलोकन विधि द्वारा मात्रात्मक और गुणात्मक आँकड़े प्राप्त किए गए थे। प्रत्येक प्रश्न से संबंधित प्रतिक्रियाओं की आवृत्तियों के आधार पर मद/प्रश्नवार विश्लेषण के माध्यम से निष्कर्ष निकालने के लिए मिश्रित विश्लेषण पद्धति (मात्रात्मक और गुणात्मक) का अनुप्रयोग किया गया था, जिसे अधोलिखित परिच्छेदों में संबंधित व्याख्याओं के साथ प्रस्तुत किया गया है।

1. विद्यालयों में विद्यालय स्थानों की उपलब्धता और समुदाय द्वारा योगदान के बारे में जानकारी

तालिका 1 में देखे गए विद्यालयों में चहारदीवारी, वृक्षारोपण, मुख्य द्वार की उपलब्धता और विद्यालयों में इस संबंध में समुदाय द्वारा दिए गए योगदान के बारे में विद्यालय स्थानों की जानकारी दी गई है। तालिका 1 से यह स्पष्ट है कि लगभग 20 प्रतिशत विद्यालयों में चहारदीवारी और मुख्य द्वार थे। इस संबंध में, चहारदीवारी और मुख्य द्वार पर समुदाय का योगदान (या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से) क्रमशः 27 प्रतिशत और 31 प्रतिशत विद्यालयों में बताया गया था। 65 प्रतिशत विद्यालयों में वृक्षारोपण गतिविधियों की सूचना मिली, जिनमें से 63 प्रतिशत विद्यालयों को इस संबंध में समुदाय से योगदान मिला था।

तालिका 1— अवलोकित विद्यालयों में विद्यालय के स्थान की उपलब्धता और समुदाय द्वारा दिए गए योगदान के संबंध में प्राप्त जानकारी (प्रतिशत में)

सुविधाओं की उपलब्धता	सुलभ	समुदाय द्वारा योगदान	
		पूरी तरह से/ आंशिक रूप से	नहीं
(क) चहारदीवारी	20	27	73
(ख) वृक्षारोपण	65	63	37
(ग) मुख्य द्वार	20	31	69

2. पीने के पानी की उपलब्धता और समुदाय द्वारा योगदान के बारे में जानकारी

जन-समुदाय द्वारा भ्रमण किए गए विद्यालयों में पेयजल की उपलब्धता पर योगदान किए जाने के बारे में जानकारी तालिका 2 में दी गई है। इस तालिका के अनुसार 57 प्रतिशत विद्यालयों में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता थी और इस संबंध में लगभग 22 प्रतिशत विद्यालयों को समुदाय का योगदान प्राप्त होने का उल्लेख मिला था। तालिका 2 से यह भी स्पष्ट है कि पीने के पानी की उपलब्धता के मुख्य स्रोत विद्यालयों में नल के पानी की आपूर्ति (45 प्रतिशत) या पानी की टंकी (66 प्रतिशत) थे। समुदाय का योगदान मुख्य रूप से नल के पानी की आपूर्ति तक ही सीमित है और वह भी बहुत कम (लगभग 18 प्रतिशत) था। आधे से अधिक प्रेक्षकों ने बताया था कि पानी पीने के लिए सुरक्षित था, ऐसी धारणा समुदाय द्वारा इस दिशा में कम ध्यान और योगदान देने के कारण हो सकती है।

तालिका 2— अवलोकित विद्यालयों में पेयजल की उपलब्धता और समुदाय द्वारा किए गए योगदान के संबंध में प्राप्त जानकारी (प्रतिशत में)

पीने के पानी की सुविधा	सुलभ	समुदाय द्वारा योगदान	
		हाँ/आंशिक रूप से हाँ	नहीं
(क) सुरक्षित पेयजल	57	38	62
(ख) पेयजल का भंडारण/जल की उपलब्धता का स्रोत	65	63	37
• नल के पानी की आपूर्ति	45	40	60
• पानी की टंकी	66	0	0
• पेयजल का कुआँ	8	0	0

• पेयजल का हाथ पंप (हैंड पम्प)	8	0	0
• एक बर्तन/जार में संग्रहित पानी	50	14	86
(ग) जल शोधन की विधि (क्लोरीन टैबलेट/अन्य विधि)	क्लोरीन (1); अन्य विधि (1); नहीं (3); फिल्टर (6); निश्चित नहीं (1)		

कोष्ठक में आँकड़े अनुसूची पर कुल दर्ज जवाब/प्रतिक्रियाओं को दिखाते हैं।

3. शौचालयों की उपलब्धता और समुदाय द्वारा योगदान के बारे में जानकारी

तालिका 3 में प्रेक्षकों द्वारा दौरा किए गए विद्यालयों में शौचालयों की उपलब्धता और समुदाय द्वारा दिए गए योगदान के बारे में जानकारी प्रस्तुत की गई है। तालिका के अनुसार, 87 प्रतिशत विद्यालयों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध थी। दूसरी ओर, 84 प्रतिशत और 88 प्रतिशत विद्यालयों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय उपलब्ध थे। हालाँकि, शौचालयों में पानी की उपलब्धता (16 प्रतिशत) बहुत कम थी, जिससे उपलब्ध शौचालय सुविधाओं की उपयोगिता के बारे में विद्यालय प्रबंधन और जन समुदाय के सम्मुख एक गंभीर समस्या/चिंता का विषय प्रस्तुत किया है। दूसरी ओर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शौचालय सुविधाओं की उपलब्धता लगभग नगण्य थी और इस संबंध में तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता थी। लगभग 67 प्रतिशत विद्यालयों के मामले में, शौचालय सुविधाओं की सफाई को अच्छा/संतोषजनक माना गया और इसका एक मुख्य कारण विद्यालयों में स्वच्छता अभियान पर भारत सरकार का कार्यक्रम हो सकता है। जहाँ तक शौचालयों की उपलब्धता के विभिन्न मापदंडों पर समुदाय द्वारा योगदान का संबंध था, वह भी बहुत खराब था और इसे समुदाय द्वारा अपने बच्चों के हित में एक संतोषजनक प्रयास का मामला नहीं माना जा सकता था।

तालिका 3— अवलोकित विद्यालयों में शौचालयों की उपलब्धता और समुदाय द्वारा दिए गए

शौचालय की सुविधा	सुलभ	समुदाय द्वारा योगदान	
		हाँ / आंशिक रूप से हाँ	नहीं
(क) शौचालय	87	19	81
(ख) बालकों के लिए शौचालय	84	21	79
(ग) बालिकाओं के लिए अलग शौचालय	88	20	80
(घ) शौचालय में पानी की उपलब्धता	16	27	73
(ङ) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शौचालय की उपलब्धता	4	0	100
(च) शौचालय की सफाई	अच्छा 21	संतोषजनक 46	खराब 33

4. कक्षा सुविधाओं के प्रमुख मापदंडों पर समुदाय का योगदान

तालिका 4 के द्वारा अवलोकित विद्यालयों में कक्षा सुविधाओं के प्रमुख मापदंडों, जैसे— सफेदी, सफाई/स्वच्छता, कक्षा-वार कक्षा-कक्ष, कक्षा

में पर्याप्त प्रकाश, हवादार कक्षा, श्यामपट्ट की व्यवस्था, बहुश्रेणी (मल्टी-ग्रेड) शिक्षण के लिए सुविधाएँ/व्यवस्था, कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रदर्शन सुविधाएँ, शिक्षक के लिए मेज और कुर्सी की उपलब्धता, शिक्षण-अधिगम सामग्री रखने के लिए स्थान और इस संबंध में समुदाय द्वारा किए गए योगदान को प्रस्तुत किया गया है। प्रेक्षित विद्यालयों में समुदाय द्वारा किए गए योगदान के संबंध में आँकड़ा संकलनकर्ता द्वारा सूचना मात्र 11 विद्यालयों के लिए संकलित की गई थी, जबकि शेष 14 अन्य विद्यालयों में प्रतिक्रियाओं के संबंध में सूचना शून्य थी या इस पर संकलनकर्ता द्वारा ध्यान नहीं दिया गया था। तालिका 4 से यह देखा जा सकता है कि प्रेक्षित विद्यालयों में कक्षा सुविधाओं के प्रमुख मापदंडों पर समुदाय द्वारा योगदान खराब पाया गया था। कुल मिलाकर, चित्र 1 को ध्यान में रखते हुए यह बताया जा सकता है कि कक्षा सुविधाओं के प्रभाव के सभी प्रमुख मापदंड प्रकृति में योगात्मक थे। तदनुसार, कक्षा सुविधाएँ प्रदान करने में समुदाय का योगदान प्रतिशत अंकों के संदर्भ में 'खराब' (78 प्रतिशत) था।

तालिका 4— अवलोकित विद्यालयों में समुदाय द्वारा कक्षा सुविधाएँ के प्रमुख मापदंडों पर किए गए योगदान

कक्षा सुविधाओं के प्रमुख मापदंड	समुदाय द्वारा योगदान		
	खराब	संतोषजनक	अच्छा
(क) सफेदी	8	3	1
(ख) सफाई/स्वच्छता	5	4	0
(ग) कक्षा-वार कक्षा-कक्ष	7	1	0
(घ) कक्षा में प्रकाश की पर्याप्तता	7	1	0
(ङ) हवादार कक्षा	5	2	0
(च) ब्लैक बोर्ड/श्याम पट्ट की व्यवस्था	7	1	0
(छ) बहु-श्रेणी (मल्टी-ग्रेड) शिक्षण के लिए सुविधाएँ	9	1	0
(ज) कक्षा में बैठने की व्यवस्था	1	0	0
(झ) प्रदर्शन (डिस्पले) सुविधाएँ	1	0	0
(ञ) शिक्षकों के लिए टेबल और कुर्सी की उपलब्धता	0	0	0
(ट) शिक्षण-अधिगम सामग्री रखने का स्थान	0	0	0

*आँकड़े मात्र 11 स्कूलों के लिए दर्ज प्रतिक्रियाओं के आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं और अन्य 14 स्कूलों के लिए अवलोकन अनुसूची पर सूचना नहीं दर्ज की गई थी।

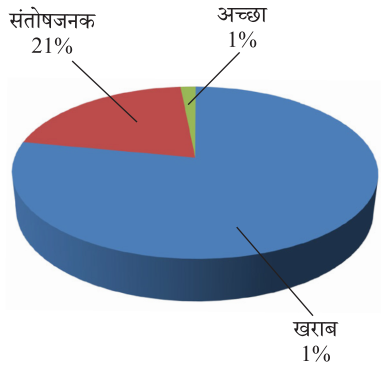

चित्र 1— कक्षा-कक्ष सुविधाओं पर समुदाय का योगदान

5. समुदाय द्वारा विद्यालय प्रावधानों की निगरानी

चित्र 2 में प्रेक्षकों द्वारा विद्यालयों में समुदाय द्वारा विद्यालय प्रावधानों को 4-पॉइंट रेटिंग स्केल जो, लगातार, कम लगातार और दुर्लभ की निगरानी को प्रदर्शित करता है। अवलोकन अनुसूची पर अंकित आँकड़ों के अनुसार यह सूचना 88 प्रतिशत विद्यालयों से प्राप्त हुई थी। चित्र से स्पष्ट है कि 27 प्रतिशत जन-समुदाय 'लगातार' विद्यालय प्रावधानों की निगरानी में अभिरुचि रखते थे, जबकि 68 प्रतिशत जन-समुदाय के बारे में बताया गया की वे लोग विद्यालय प्रावधानों की 'कम लगातार' निगरानी करते थे।

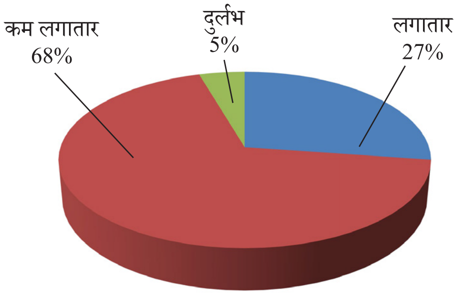

चित्र 2— समुदाय द्वारा विद्यालय प्रावधानों की निगरानी

6. समुदाय का मानव संसाधन की उपलब्धता पर योगदान

चित्र 3 में समुदाय का मानव संसाधन की उपलब्धता पर योगदान के संदर्भ में समुदाय द्वारा प्रदान किए गए अतिरिक्त कर्मचारियों सहित मानव संसाधन, शैक्षिक और गैर-शैक्षिक कर्मचारियों की उपलब्धता प्रस्तुत करता है। चित्र 3 से यह स्पष्ट है कि विद्यालयों में स्थायी शैक्षिक कर्मचारियों की संख्या लगभग 20 प्रतिशत है, जबकि 80 प्रतिशत कर्मचारी अवलोकन किए गए विद्यालयों में अस्थायी कर्मचारियों (शैक्षिक और गैर-शैक्षिक कर्मचारियों) की श्रेणी में आते हैं। यहाँ समुदाय द्वारा लगभग 7 प्रतिशत अतिरिक्त कर्मचारी विद्यालय को उपलब्ध कराया गया था, जो सराहना का विषय है कि समुदाय ने अतिरिक्त कर्मचारी विद्यालय को प्रदान कराने में योगदान किया था।

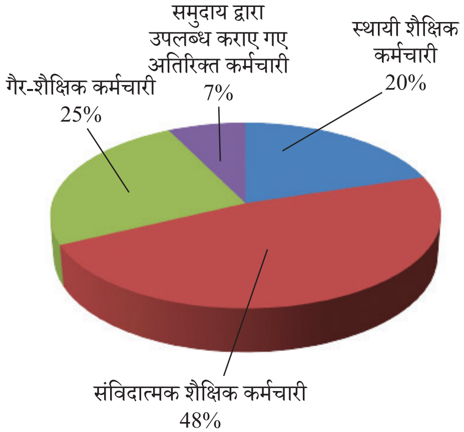

चित्र 3— समुदाय का प्रेक्षित स्कूलों में मानव संसाधन की उपलब्धता पर योगदान

शोध निष्कर्ष

अध्ययन के निष्कर्ष चयनित विद्यालयों से सूचना एकत्र करने के लिए विद्यालय से प्राप्त आँकड़ें प्रस्तुतीकरण और विश्लेषण पर आधारित हैं, जिसे इस परिच्छेद/खंड में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है—

- लगभग 20 प्रतिशत विद्यालयों में चहारदीवारी और मुख्य द्वार थे। इस संबंध में, चहारदीवारी और मुख्य द्वार पर समुदाय का योगदान (या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से) क्रमशः 27

प्रतिशत और 31 प्रतिशत विद्यालयों में बताया गया था। 65 प्रतिशत विद्यालयों में वृक्षारोपण गतिविधियों की सूचना मिली, जिनमें से 63 प्रतिशत विद्यालयों को इस संबंध में समुदाय से योगदान मिला था।

- 57 प्रतिशत विद्यालयों में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता दर्ज की गई और इस संबंध में लगभग 22 प्रतिशत विद्यालयों में समुदाय का योगदान रहा। पानी की उपलब्धता का मुख्य स्रोत विद्यालयों में नल के पानी की आपूर्ति (45 प्रतिशत) या पानी की टंकी (66 प्रतिशत) थी। समुदाय का योगदान मुख्य रूप से नल के पानी की आपूर्ति तक ही सीमित था और वह भी बहुत कम, लगभग 18 प्रतिशत विद्यालयों में पाया गया था।
- लगभग 87 प्रतिशत विद्यालयों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध थी। दूसरी ओर, 84 प्रतिशत और 88 प्रतिशत विद्यालयों में बालकों और बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय उपलब्ध थे। हालाँकि, शौचालयों में पानी की उपलब्धता (16 प्रतिशत) बहुत कम थी और विद्यालयों में शौचालय सुविधाओं की उपयोगिता के विषय के बारे में गंभीर चिंताजनक विषय था। इसके अतिरिक्त, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शौचालय सुविधाओं की उपलब्धता या तो नगण्य थी अथवा बहुत कम थी। 67 प्रतिशत विद्यालयों के मामले में शौचालय सुविधाओं की सफाई को अच्छा/संतोषजनक माना गया था और इसका मुख्य कारण विद्यालयों में स्वच्छता अभियान पर भारत सरकार का कार्यक्रम प्रतीत होता है। जहाँ तक शौचालयों की उपलब्धता के विभिन्न मापदंडों पर समुदाय द्वारा योगदान का संबंध था, वह भी बहुत संतोषजनक नहीं (खराब) था।
- कक्षा सुविधाओं के प्रमुख मापदंडों, जैसे— सफेदी, स्वच्छता, कक्षा-वार कक्षा-कक्ष, कक्षा में पर्याप्त प्रकाश की, हवादार कक्षा, श्यामपट्ट व्यवस्था, बहु-श्रेणी शिक्षण के लिए सुविधाएँ/व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, प्रदर्शन सुविधाएँ, शिक्षक के लिए मेज और कुर्सी की उपलब्धता, अवलोकन किए गए विद्यालय में शिक्षण अधिगम सामग्री रखने के लिए स्थान पर समुदाय का योगदान असंतोषजनक/खराब पाया गया। तदनुसार, कक्षा सुविधाएँ प्रदान करने में 78 प्रतिशत समुदाय का योगदान खराब (बहुत कम) था।
- विद्यालय प्रावधानों की निगरानी में समुदाय की भूमिका खराब थी और 'कम बार' के रूप में दर्ज की गई थी और यह 68 प्रतिशत विद्यालयों के मामले में प्रतिवेदित किया गया था।
- विद्यालय में स्थाई कर्मचारी मात्र 20 प्रतिशत हैं, जबकि 80 प्रतिशत कर्मचारी निरीक्षण किए गए विद्यालयों में अस्थायी कर्मचारियों की श्रेणी से आते हैं। यह भी सराहना का विषय था कि समुदाय ने अतिरिक्त शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी लगभग 7 प्रतिशत विद्यालयों में प्रदान किए थे।

शोध निष्कर्ष का सार और सुझाव

प्रस्तुत आँकड़ें, विश्लेषण और निष्कर्षों के आधार पर, वर्तमान अध्ययन सामुदायिक भागीदारी की विद्यालयी विकास के कुछेक क्षेत्रों में जहाँ सकारात्मक और प्रेरक तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है, वहीं कुछ क्षेत्रों में असक्रीय भूमिका को दर्शाता है। इस अध्ययन में विद्यालय संरचना, पेयजल सुविधाओं और शौचालयों, कक्षा-कक्ष सुविधाओं, विद्यालयी प्रावधानों का अनुश्रवण, विद्यालयों को शैक्षिक और गैर-शैक्षिक कर्मचारी प्रदान करने में समुदाय के योगदान की पुष्टि की गई। इस प्रकार, बुनियादी ढाँचे और समग्र विद्यालय संचालन पर विद्यालय की गतिविधियों में सामुदायिक जुड़ाव सामाजिक प्रगति के प्रति जवाबदेही और उन्नति को बढ़ावा देता है। प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा के विकेंद्रीकरण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुपालन में जन-समुदाय में जागरूकता बढ़ाना, जन-समुदाय हेतु कार्यक्रम आयोजित करना और सभी स्तरों पर समुदाय के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित किया जाना जनहित में आवश्यक/अपेक्षित है।

संदर्भ

ई.एफ.ए. 2009. ईएफए ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट : ओवरकमिंग इनइक्वालिटी. *वाई गवर्नमेंस मैटर्स*. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, यूनेस्को पब्लिशिंग.

नवानी, दिशा. 2017. राइट टू एजुकेशन : आर वी ऑन द राइट ट्रैक? *इकॉनोमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*. वॉल्यूम 2, अंक 31, पृ.सं. 21–25.

सिंह, वी.पी. 2013. द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 : एन एक्सप्लोटरी स्टडी. *जर्नल ऑफ इंडियन रिसर्च*. 1, पृ.सं. 118–135.

सेंट्रल स्कवायर फाउंडेशन. 2014. पॉलिसी ब्रीफ : स्कूल मैनेजमेंट कमेटी सक्ससेस, चैलेंज एंड अर्पाच्युनिटी. *सेंट्रल स्कवायर फाउंडेशन— एकाउंटबिलिटी इनीशिएटिव*. पृ.सं. 1.

http://mhrd.gov.in/smc